न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 16 / 2020

हरवानसिंह पुत्र मूला जाति गुर्जर,निवासी ग्राम पो0 खखावली,तहसील नगर जिला भरतपुर ।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी नगर (अन्तरित द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 02.03.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हरवानसिंह पुत्र मूला जाति गुर्जर,निवासी ग्राम पो0 खखावली,तहसील नगर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 02.12.2019 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 81 दिनांक 31.01.2020 से उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से उनके कार्यालय पत्रांक / पीए / आर.टी.आई. / 2020 / 315 दिनांक 20.02.2020 से जबाव प्राप्त हुआ, जो संलग्न पत्रावली है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से उक्त सूचनाऐं दिलाये जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया । उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने अपने जबाव में पत्रांक 315 दिनांक 20.02.2020 से अवगत कराया है कि आवेदक हरवानसिंह का आवेदन उपखण्ड अधिकारी नगर से सम्बन्धित होने के कारण पत्रांक 12 दिनांक 30.01.2020 से प्रार्थी का मूल आवेदन उपखण्ड अधिकारी नगर को अन्तरित कर दिया गया है । उपखण्ड कार्यालय भरतपुर के स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा अपने जबाव की पुष्टि में पत्र क्रमांक 12 दिनांक 30.01.2020 की प्रति संलग्न भेजी गई है,जिसकी बावत आवेदक श्री हरवानसिंह को भी सूचति किया गया है ।

चूंकि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा प्रार्थी का आवेदन अपने पत्र क्रमांक 12 दिनांक 30.01.2020 से उपखण्ड अधिकारी नगर को भेजा गया है, किन्तु उपखण्ड अधिकारी नगर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है, जो गंभीर बात है। उपखण्ड अधिकारी नगर से जबाब

प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नगर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी नगर को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को प्रेषित हो।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.03.19 14:43:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: